

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
(राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

वेतन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 90/2016(2016/00203) वाद पत्र

उनवान

1-उदेराम पिता रंगलाल नाई नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-नाथुलाल पिता शंकरलाल नाई नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-रोशनलाल पिता शंकरलाल नाई नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-चुन्नीलाल पिता शंकरलाल नाई नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-चान्दमल पिता शंकरलाल नाई नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-अनिल कुमार पिता शंकरलाल नाई नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-लैण्ड होल्डर सा जरिए तहसीलदार सा रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राज० टी० एक्ट

उपरिथत

1-जाकिर हुसैन-

2-फारूख मोहम्मद-

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 6.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प रायपुर में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर, सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की सामलाती खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात क्रमश खाता संख्या 753 मे अंकित आराजी संख्या 4602/2201 रकबा 0.06 हे०, आराजी संख्या 4604/2599 रकबा 0.13 हे० व खाता संख्या 217 आराजी संख्या 4606/3834 रकबा 0.10 हे०, आराजी संख्या 4608/3835 रकबा 0.10 हे० कुल किता 04 कुल रकबा 0.39 हे० स्थित है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 6.06.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।




आदेश

ग्राम रायपुर, सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या क्रमश 753, 217 वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र.सं	ग्राम	कृषकों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है०)	लगान
1	रायपुर	उदेराम पिता रंगलाल नाई सा० रायपुर	4604/2599/1	0.0650	0.22
2		नाथूलाल रोशनलाल चुन्नीलाल चान्दमल अनिल कुमार पिता शंकरलाल नाई सा० रायपुर खातेदार	4604/2599/2	0.0650	0.23
1	सुरजपुरा	उदयराम पिता नन्दलाल नाई सा० रायपुर खातेदार	4606/3834/1	0.05	0.04
			4608/3835/1	0.05	0.05
		किता	2	0.10	0.09
2		नाथूलाल रोशनलाल चुन्नीलाल चान्दमल अनिल कुमार पिता शंकरलाल नाई सा० रायपुर खातेदार	4606/3834/2	0.05	0.05
			4608/3835/2	0.05	0.04
		किता	2	0.10	0.09

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। यह आज तारीख 6.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


 राजलक्ष्मी गहलोत
 सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
 रायपुर जिला भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

उनवान

1-उदराम पिता रंगलाल नाई नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

- 1-नाथूलाल पिता शंकरलाल नाई नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 2-रोशनलाल पिता शंकरलाल नाई नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 3-चुन्नीलाल पिता शंकरलाल नाई नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 4-चान्दमल पिता शंकरलाल नाई नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 5-अनिल कुमार पिता शंकरलाल नाई नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 6- लैण्ड होल्डर सा जरिए तहसीलदार सा रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- 90/2016(2016/00203) वाद पत्र

निर्णय दिनांक:- 6.06.2018

वाद में आज तारीख 6.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 की राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत रायपुर के समक्ष अंतिम निपटारो के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम रायपुर, सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या क्रमश 753, 217 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-


क.स	ग्राम	कृषकों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है0)	लगान
1	रायपुर	उदराम पिता रंगलाल नाई सा0 रायपुर	4604/2599/1	0.0650	0.22
2		नाथूलाल रोशनलाल चुन्नीलाल चान्दमल अनिल कुमार पिता शंकरलाल नाई सा0 रायपुर खातेदार	4604/2599/2	0.0650	0.23



1	सुरजपुरा	उदयराम पिता नन्दलाल नाई सा० रायपुर खातेदार	4606/3834/1	0.05	0.04
			4608/3835/1	0.05	0.05
			किता 2	0.10	0.09
2		नाथूलाल रोशनलाल चुन्नीलाल चान्दमल अनिल कुमार पिता शंकरलाल नाई सा० रायपुर खातेदार	4606/3834/2	0.05	0.05
			4608/3835/2	0.05	0.04
			किता 2	0.10	0.09

का पक्षकारों के मध्य राजस्थान भू राजस्व (राजस्व मण्डल)नियम 1955 के नियम 19, 20 एवं 21 की व्यवस्था के अनुसार दोनो पक्षकारों को सूचित करे उनकी उपस्थिति में विभाजन करके खाते अलग अलग कायम करते हुए दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **6.06.2018** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 (राजलक्ष्मी गहलोट)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 रायपुर